न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/16/2023	2023/494	10.04.2023	06.02.2025

1. सुबे खां पुत्र भोभला,
2. साहबदीन पुत्र भोभला जातियान मेव, निवासीयान ग्राम मुकुन्दवास कोटाखुर्द तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर (राज0)

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार रामगढ़
निर्णय दिनांक 13.03.2023 प्र.सं.
01/23

उपस्थितः—
01—श्री सनत कुमार जैन —वकील अपी0
02—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पो0

—:निर्णय:—

अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 13.03.2023 जिसके द्वारा अपी0 को अतिक्रमी करार देते हुए आराजी ख0नं0 526 रकबा 2.83 है0 वाके ग्राम मुकन्दवास तहसील रामगढ़ की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के फलस्वरूप अतिक्रमित रकबे से बेदखल एवं लगान से दण्डित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपी0 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस तामील होने के बाद अपीलान्ट सुबे खां ने दि० 13.03.2023 को लिखित जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि उसे गलत तथ्यों के साथ नोटिस दिया गया है आराजी खसरा नंबर 526 रकबा 2.83 है0 में से 09 ऐयर वाके ग्राम मुकन्दवास कोटाखुर्द तहसील रामगढ जिला अलवर को मेरे पिता भौबला पुत्र बुद्धी ने इकरारनामा दिनांक 05.10.1962 को हसनबी से खरीद किया हुआ है तथ हसनबी के नाम संवत 2010 से 2014 के रिकॉर्ड में गैरखातेदारी का इन्द्राज हो रहा है किन्तु बंदोबस्त संवत 2020 में बदोबस्त कर्मचारियों ने उक्त आराजी को गलत प्रकार से सिवायचक बेहड दर्ज कर दिया, जो इन्द्राज साबिक रिकॉर्ड के खिलाफ है। प्रार्थी के पिता भोभला (भोबला) ने एक दावा भी सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़ के खिलाफ उक्त आराजी के बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ के यहां पेश किया हुआ है, जो विचाराधीन है। उपरोक्त आराजी पर प्रार्थी अपने पिता की फुटबैक पर काबिज होकर रिहायश कर रहा है। प्रार्थी ने किसी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा अथवा अतिक्रमण नहीं किया है, नोटिस गलत जारी किया गया है। इसलिए नोटिस निरस्त किया जाकर नोटिस की कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे। इसी प्रकार से अपीलान्ट साहबदीन ने भी इसी दिनांक 13.03.2023 को पृथक से जवाब प्रस्तुत किया था। किन्तु तहत न्यायालय ने उक्त जवाब से असंतुष्टी जाहिर करते हुए आलोच्य

अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

आज्ञा पारित कर अपीलान्टान को बेदखल करने की आज्ञा सादिर कर दी। जिससे व्यथित होकर अपील हाजा अदालत श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

श्रीमान तहसीलदार साहब ने गलत नोटिस जारी कर अपीलान्टान को उनके जायज कब्जे से बेदखल करने की बेजा आज्ञा सादिर की है तथा जवाब नोटिस प्रस्तुत करने के बाद अपीलान्टान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर भी प्रदान नहीं किया तथा न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों के खिलाफ आलोच्य आज्ञा सादिर की है, जो निरस्त होने योग्य है। अपीलान्टान ने किसी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं किया है, क्योंकि अपीलान्टान के पिता भोबला ने विवादित आराजी को पूर्व गैरखातेदार से जरिये इकरारनामा दिनांक 05.10.1962 को हसनबी से खरीदा था, जिसका नाम जमाबंदी संवत 2010 से 2014 में बतौर गैरखातेदार दर्ज है। किन्तु बंदोबस्त विभाग ने संवत 2020 में बंदोबस्त के दौरान उक्त आराजी के खसरा को सिवायचक बेहड दर्ज कर दिया। जिस कारण अपीलान्टान के पिता भोबला द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के यहां दावा भी अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राजटी. एक्ट के तहत दायर किया हुआ है जो दावा वर्ष 2017 से ही विचाराधीन है, जिसमें स्वयं तहसीलदार रामगढ बतौर प्रतिवादी पक्षकार मुकदमा हैं तथा इस मुकदमे में भी उक्त आराजी को इकरारनामा दिनांक 05.10.1962 से हसनी बेवा जहाजी मेव निवासी मुकन्दवास से खरीदने का उल्लेख किया हुआ है किन्तु उक्त राजस्व वाद की जानकारी बखुबी होने के बावजूद गलत प्रकार से नोटिस देकर अपीलान्टान के खिलाफ कार्यवाही की गई है, जो विधि विरुद्ध है। जब विवादित आराजी बाबत राजस्व न्यायालय में पहले से ही दावा चल रहा है तो धारा 91 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं चल सकती है। इसलिए आज्ञा जेरे अपील विधि विरूद्ध एवं मनमानी होने के कारण काबिल खारिज है।

विवादित आराजी पर अपीलान्टान का कब्जा अपने पिता भोबला के जीवनकाल से अर्थात वर्ष 1962 से यानि अर्सा करीब 60 वर्ष से भी अधिक पुराना कब्जा चला आ रहा है तथा मुखालफाना कब्जा के आधार पर भी अपीलान्टान को विवादित आराजी में हकूक खातेदारी हांसिल हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में मौजूदा कार्यवाही कानूनन चलने योग्य ही नहीं थी। किन्तु गौर नहीं हुआ। इसलिए भी आज्ञा जेरे अपील तथ्यों के विपरीत मनमानी एवं विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल खारिज है। अपीलान्टान विवादित आराजी पर अपने जायज हकूक की बिना पर काबिज हैं तथा पुख्ता मकान कदीमी से बने हुए हैं। यदि अपीलान्टान को बेदखल कर दिया गया तो अपीलान्टान को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर आलोच्य आज्ञा श्रीमान तहसीलदार साहब, रामगढ जिला अलवर दिनांक 13.03.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुये निवेदन किया है, कि तहत अदालत तहसीलदार रामगढ़ द्वारा अपी0 को अतिक्रमी मानते हुये प्रकरण में विधिवत निर्णय पारित किया गया है, प्रकरण में तहत अदालत द्वारा नियमानुसार विधिवत कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपी0 खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं पटवारी हल्का कोटाखुर्द मय ताईद भू.अ.नि. वृत रामगढ़ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी व रिकॉर्ड के अनुसार आराजी खसरा नंबर 526 रकबा 2.83 है0 किस्म गैर मुमकिन बेहड़ वाके ग्राम मुकुन्दबास तहसील रामगढ़ में दर्ज रिकॉर्ड है।

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का कोटाखुर्द अपीलाण्ट द्वारा आराजी खसरा नंबर 526 रकबा 2.83 है0 किस्म गैर मुमकिन बेहड़ सरकारी भूमि में से 0.09 है0 भूमि पर पक्का मकान व आंगन बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों के आधार पर अपी0 द्वारा उक्त आराजी पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। अपी0 द्वारा उक्त राजकीय आराजी पर किया गया अनाधिकृत कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ का आदेश दिनांक 13.03.2023 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)